न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	जी.सी.एम.एस.	निर्णय दिनांक
11/07/2022	25–04–2022	2022/35	12–09–2022

01– रामकुवार सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह उर्फ लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

02–मदन सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह उर्फ लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)

–: रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 19.05.1992 नामान्तकरण संख्या 128 ग्राम बाढडोली, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट
02– श्री दीपक मीना – रेस्पोडेन्टस संख्या – 1
03– श्री देवीसहाय – रेस्पोडेन्टस संख्या –2

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 19.05.1992 नामान्तकरण संख्या 128 ग्राम बाढडोली, तहसील थानागाजी जिला अलवर। दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 321 रकबा 0.11 है0, 322 रकबा 0.04 है0, 323 रकबा 0.25 है0, 324 रकबा 0.03 है0, 477 रकबा 0.19 है0, 483 रकबा 0.30 है0, 493 रकबा 0.30 है0, 505 रकबा 0.65 है, 580 रकबा 0.28 है, 582 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी में स्थित चली आ रही है। आराजी खसरा न0 321 रकबा 0.11 है0 साबिक खसरा न0 291 रकबा 9 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 322 रकबा 0.04 है0 साबिक खसरा न0 292 रकबा 03 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 323 रकबा 0.25 है0 साबिक खसरा न0 293 रकबा 01 बीधा से तथा हाल खसरा न0 324 रकबा 0.03 है0 साबिक खसरा न0 294 रकबा 2 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 477 रकबा 0.19 है0 साबिक खसरा न0 448 रकबा 15 बिस्वा से तथा हाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

खसरा न0 483 रकबा 0.30 है0 साबिक खसरा न0 454 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 493 रकबा 0.30 है0 साबिक 475 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 505 रकबा 0.65 है0 साबिक खसरा न0 481 रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 580 रकबा 0.28 है0 साबिक खसरा न0 546 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा से तथा हाल खसरा न0 582 रकबा 0.28 है0 साबिक खसरा न0 547 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2061 से बना है। उक्त हिस्सा आराजी अपीलान्ट को अपने पिता लक्ष्मणसिंह उर्फ लक्ष्मण के फौत होने के बाद जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलान्ट बहैसियत खातेदार मौके पर काबिज है, और काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है, लेकिन राजस्व अभियान कैम्प विजयपुरा दिनाक 19.05.1992 में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार थानागाजी ने बिना जॉच किये ही नामान्तकरण संख्या 128 में अपीलान्ट का नाम रामकुवारसिंह के स्थान पर रामोतारसिंह बेजा तरीके से गलत दर्ज कर दिया। अपीलान्ट की माता पूर्व में ही फौत हो चुकि है, विरासत का नामान्तकरण में अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मदनसिंह ने पटवारी हल्का को गांव में बोल चाल का नाम बता दिया जिसकी जॉच पटवारी हल्का ने नही की एवं विरासत का नामान्तकरण सख्या 128 में अपीलान्ट का नाम रामोतारसिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है अपीलान्ट का सही नाम रामकुवारसिंह है, जो अपीलान्ट के सभी दस्तावेजो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पास बुक, आदि में दर्ज है, उक्त गलत इन्द्राज के कारण अपीलान्ट विभिन्न सरकारी योजनाओ किसान सम्मान योजना, के.सी.सी इत्यादि का लाभ नही ले पा रहा है, और न ही अपने नाम से विधुत कनैक्शन ले पा रहा है। अपीलान्ट द्वारा के.सी.सी ऋण हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु दिनाक 12.04.2020 को पटवारी हल्का से मिला तो उक्त गलत नामान्तकरण व गलत इन्द्राज की जानकारी हुई फिर राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 128 दिनाक 19.05.1992 की नकल दिनाक 12.04.2022 को एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल दिनाक 19.04.2022 को प्राप्त हुयी जिसके बाद असल रेस्पोडेन्ट से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया, तो असल रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण संख्या 128 में संशोधन करने से इन्कार कर दिया फिर अपीलान्ट के द्वारा कानूनी सलाह ली जाकर बिना देरी किये यह अपील पेश की है, अपील साधारणतया अन्दर मियाद पेश है, देरी माफी के लिये दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपील स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अप्रास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 128 में वर्णित आराजी खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र रधुनाथसिंह हिस्सा 1/3 कौम राजपूत के नाम दर्ज आराजी देहान्त होंने के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण मदनसिंह रामोतारसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 वाके ग्राम बाढडोली, तहसील थानागाजी दर्ज कर दिनाक 19.05.1992 को निर्णित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 वाके ग्राम बाढडोली, तहसील थानागाजी में वर्णित आराजीयात विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय दिनाक 19.05.1992 पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न्यायालय

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभयपक्ष का मनन किया गया।सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.1992 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 25.04.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 30 वर्ष बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.1992 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.04.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 128 निर्णय 19.05.1992 ग्राम बाढडोली थानागाजी मृतक लक्ष्मणगढ सिंह की विरासत रामोतार सिंह व उनके अन्य भाईयों के साथ वारिसान के रूप में उल्लेखित किया है, इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार थानागाजी द्वारा स्वीकृत हुआ है। अपीलाण्ट का कथन है, कि उसका नाम नामान्तकरण में गलत तरीके से बिना जांच किये रामकुवार सिंह के स्थान पर रामोतार सिंह बेजा तरीके से गलत दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट का सही नाम रामकुवार सिंह है। पत्रावली में उपलब्ध मतदाता सूची में रामकुवार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह उल्लेखित है, साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भी रामकुवार सिंह सही नाम बताया गया है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि रामकुवार सिंह व रामोतार सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति है। प्रकरण में प्रस्तुत संरपच ग्राम पंचायत भूडियावास का पत्र दिनाक 29.03.2022 न्याय की दष्टि से साक्ष्य के रूप में ग्रहण नही किया जा सकता है। अपील अपीलान्ट साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तकरण संख्या 128 निर्णय दिनांक 19.05.1992 वाके ग्राम बाढडोली तहसील थानागाजी यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.09.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)